उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
संख्या– 255/07/ई–1/2019–20
प्रयागराजः दिनांक 18 अगस्त, 2021

<u>शुद्धि–पत्र</u>

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड–2 (पुरूष/महिला) परीक्षा, 2021 हेतु विज्ञापन संख्या–ए–4/ई–1/2021 दिनांक 16.07.2021 को जारी किया गया था जिसके लिए ऑन–लाइन आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि 16.08.2021 निर्धारित है। उक्त विज्ञापन के प्रस्तर–11(1) में आयु सीमा तथा प्रस्तर–11(2) में आयु सीमा में छूट का उल्लेख किया गया है जिसे उ0प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम–9 के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स के संबंध में आयु सीमा में छूट का समावेश करते हुये निम्नवत संशोधित समझा जायेः–

(1) **अभ्यर्थियों को 1 जुलाई, 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए । दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।**

(2) **<u>अधिकतम आयु सीमा में छूट</u>–**

(क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों , उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई, 1976 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

(ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + तीन वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के लागू होने के पश्चात् किए जाने वाले केवल पहले चयन के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो नियम–10 में विहित वह अर्हता रखते हों जैसा कि वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1999 के लागू होने के पूर्व विद्यमान थी और जो बॉण्डेड और प्रशिक्षित है, अधिकतम आयु की सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी सीधी भर्ती के लिए विचार किए जाने हेतु उन्हें अर्ह बनाने के लिए आवश्यक समझी जाय।

परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, उत्तर प्रदेश या चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हों और जो इस नियमावली के नियम–10 में विहित अर्हताएं धारित करते हों, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितने वर्ष वे संविदा के आधार पर सेवा में पूर्ण कर चुके हों, जो कि अधिकतम उन पांच वर्षों के अध्यधीन होगी जो सीधी भर्ती के विचारार्थ उन्हें अर्ह बनाने के लिए आवश्यक समझी जाय।

(3) उ0प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम–15(3ख) के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, उ0प्र0 एवं चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्यधीन निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किए जाएंगे:–

(एक) संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए–	03 अंक
(दो) संविदा के आधार पर सेवा के अगले एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए–	03 अंक प्रति वर्ष के लिए

इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। इस प्रयोजन हेतु एक प्रारूप इस विज्ञापन के परिशिष्ट–6 में उपलब्ध है।

(4) परीक्षा शुल्क जमा करने की एवं आवेदन–पत्र स्वीकार किए जाने की संशोधित अंतिम तिथियां निम्नवत् हैं:–

ऑन–लाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि– **31.08.2021**

ऑन–लाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किए जाने की अंतिम तिथि– **03.09.2021**

Arvind 18/08/21

(अरविन्द कुमार मिश्र)

परीक्षा नियंत्रक